127

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ।म0प्र0।

निगरानी प्रकरण क्रमांक :- /अ-13/13-14

आवेदक :-
======

नानकराम आत्मज रतनलाल, जाति मरार, आयु 50 वर्ष, निवासी- ग्राम -जराहमोहगांव, प0ह0नं0-14, रा0नि0मं0 एवं तहसील-कटंगी, जिला-बालाघाट म0प्र0

विरुद्ध

अनावेदक :-
=======

श्रीमती अनीता बाई पति धनेन्द्र जाति कलार, निवासी- जराहमोहगांव, प0ह0नं0-14, रा0नि0मं0 एवं तहसील- कटंगी, जिला-बालाघाट म0प्र0

निगरानी अन्तर्गत धारा-50, म0प्र0भू-राजस्व संहिता-1959.

आवेदक यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार कटंगी, जिला-बालाघाट म0प्र0 द्वारा रा0प्र0क्रं0- 3/अ-13/2013-14 में पारित आदेश दिनांक - 24.01.2014 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :-

प्रकरण के तथ्य
==========

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :-

।1। यह कि, पक्षकार ग्राम जराहमोहगांव के निवासी है तथा कृषि कार्य करते हैं, ग्राम में उनकी कृषि भूमियाँ स्थित हैं ।

।2। यह कि, अनावेदक द्वारा, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा-131, म0प्र0भू0रा0संहिता-1959 ।आगे "अधिनियम" के नाम से संबोधित होगा। के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह खसरा नंबर 582/7, 583/7, 582/8, 583/8, 589/4, 589/5 एवं 589/6, कुल रकबा 1.171 हेक्टेयर भूमि की मालिक स्वामी काबिज है ।

।3। यह कि, आवेदक के मालिकी की व कब्जे की भूमि ख0 नं0 584, रकबा 0.388 हे0 है । खसरा नं0 639/1 यशवंताबाई पति

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 641-दो/14 जिला - बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिशाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.7.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, कटंगी जिला बालाघाट द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-13/2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-1-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने अंतरिम रूप से आवेदक को यह आदेशित कियाहै कि वे अनावेदिका को उसके खेत में रखी धान की फसल गहानी करने में कृषि उपकरण गाड़ी बैल आदि लाने ले जाने में किसी प्रकार से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। 2/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में उठाये गये तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकनसे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने स्वयं मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया है तथा यह पाया है कि अनावेदिका का पूर्व से आवेदक की भूमि से आना जाना होकर कृषि कार्य किया जाता रहा है, आवेदक द्वारा अनावश्यक रूप से उक्त रास्ते को अवरूद्ध किया जाना पाए जाने के कारण तहसीलदार ने आवेदक को अंतरिम रूप से अनावेदिका को उसके खेत में रखी धान की फसल गहानी करने एवं कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने के निर्देश दिए हैं । उनका उक्त आदेश अपने	

3- निग० 641/12/13 (बालाघाट)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्थान पर उचित और न्यायिक है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणदोष पर किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करनेका समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	